यह निरीक्षण आख्या कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली के माह 11/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली के अवधि की माह 11/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी°के°मट्टू, श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11/02/2019 से 18/02/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा अवधि 02/2010 से 10/2015 तक श्री नवीन चंद्र शंखधर एवं श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2015 से 21.12.2015 तक श्री आई°के°जुयाल° वरि° लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गई थी ।

वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 11/2015 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रीय मध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर संचालित समस्त क्रिया कलापों का संचालन एवं अनुश्रवण आदि। वर्तमान मे कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी) RMSA) जनपद चमोली में स्थित हैं |

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
---------- Nil --------						

ब) केन्द्र/राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है।

विवरण	वित्तीय वर्ष			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 व्यय 01/2019 तक
प्रारम्भिक अवशेष	89.19643	15.35899	15.26743	32.82366

केंद्रान्स	529.04145	412.79201	398.42556	457.74990
राजयांश	176.34715	137.59734	44.26951	50.86110
अन्य श्रोंतों से	42.42530	3.41897	2.35331	16.01104
वर्ष मे कुल प्राप्तियों का कुल योग।	837.01033	569.16731	460.31581	557.44570
वर्ष के दौरान कुल व्यय	821.65134	553.89988	427.49215	521.97943
अंतिम अवशेष	15.35899	15.26743	32.82366	35.46627

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकारभारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को / " सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणीबीहै। "

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

↓

रा0प0निदेशक

↓

अपर रा0प0निदेशक

↓

जिला परियोजना अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह ----- -शून्य --------को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 1-एसएमडीसी द्वारा संपादित किए गए निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय रुपये 4.28 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहना ।

Para 5.23 Advances of Chapter 5 of Manual on Financial Management and Procurement for RMSA Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education and Literacy provides that-

5.23.1 All funds released to the district and school level units are initially classified as advances and same indicated as such in the books of accounts. These advances shall be adjusted based on the expenditure Statements/Utilisation certificates received in State Implementation Society of having been spent the funds. Advances, if not actually spent for which accounts have not been settled, should be shown as advance and not as expenditure. Similar procedure shall be followed for funds released at District and School level.

5.23.3 The following time lines should be followed for regulating advances at the level of state, district and school for regulating advances which will constitute expenditure only when supported by appropriate utilization certificates /expenditure Statements.

Timeline for regulating advances

(a) School /SMDC level

SN.	Activities	Periodicity of release	Expenditure spent by	Certifying Document	Time limit for submission of Certified Documents
1	Civil works by community	Two instalments	SMDC	Expenditure Statement/ completion certificate along with MB	Within three month after the completion of the works .

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अपर राज्य परियोजना निदेशक ,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक –नियोजन /2007-08 /336 (टी.सी.)-एस.एम. डी.सी. /2018-19 दिनांक 7 मार्च 2016 के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय प्रवंधन समिति/ विद्यालय प्रवंधन एवं विकास समिति द्वारा करवाए गए पूर्ण एवं हस्तगत हो चुके रुपये (20.820+21.890 = 42.71) लाखके निर्माण कार्यों की अंतिम किस्त (10 प्रतिशत)राजकीय इंटर कालेज चौन्डी तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैनुरी को अवमुक्त की गई थी।अवमुक्त धनराशि रु 42.71 लाख के सापेक्ष रु 38.43 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा शेष धनराशि रु 4.28 लाख की UC उपलब्ध नहीं करायी गयी अत: धनराशि रु 4.28 लाख वर्तमान तक Unsettled पायी गयी ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दिशानिर्देशिका के उपरोक्त पैरा 5.23.3 के अनुसार निर्माण कार्यों के Expenditure Statement/ completion certificate along with MB तीन माह की अवधि के अंतर्गत सत्यापित

अभिलेख प्रेषित किए जाने चाहिए । परंतु विद्यालय / SMDC द्वारा आतिथि तक निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेख/Expenditure Statement/ completion certificate along with MB प्रस्तुत नहीं किए गए। तदनुसार विद्यालय /एसएमडीसी द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दिशानिर्देशिका के उपरोक्त पैरा 5.23.3 के प्रावधानों की अवहेलना की गई साथ ही उपरोक्त धनराशि का व्यय अनियमित सिद्ध हुआ ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि एसएमडीसी कार्यदाई एजेंसी है अतः MB सम्बन्धी प्रपत्र एसएमडीसी स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है । इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात माप पुस्तिका में दर्ज माप के आधार पर ही निर्माण एजेंसी का अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए जो आतिथि तक एसएमडीसी द्वारा completion certificate along with MB प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः एसएमडीसी द्वारा संपादित किए गए निर्माण कार्यों पर रुपये 42.71 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है । अवमुक्त धनराशि रु 42.71 लाख के सापेक्ष रु 38.43 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा शेष धनराशि रु 4.28 की UC उपलब्ध नहीं कराई गयी अत: धनराशि रु 4.28 वर्तमान तक Unsettled पायी गयी ।

भाग -02 (ब)

प्रस्तर 2: जिला परियोजना अधिकारी द्वारा नियमो तथा दयात्वो का अनुपालन न किया जाना

RMSA financial management and procurement के पेरा संख्या 6.3.1.2 के अनुसार जिला परियोजना अधिकारी के तोर पर 15 से 18 वर्ष के बचचो से सम्बंदित योजनावो को इम्प्लीमेंट करना जेसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदावा देना, विकास खण्ड स्तर पर समस्त संकुल केन्द्रो का supervision नियमित करना | विकास खण्ड के अंन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों के निर्माण कार्यो की quality report तैयार करना, विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों के भवनों का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यो की प्रगति report उच्च अधिकारियों को प्रेशित करना तथा परियोजनाओ से सम्बन्धित बी० आर० सी० के कार्यो का अनुश्रवण करना

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग से पुंछा गया कि वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 में माह वार progress of programme , cost of works ,duration of work अदि पर ,व्यय की गयी धनराशी के डिटेल्स प्रेशित करने के लिए कितने संकुल केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा कितने निर्माण कार्यो की quality report तेयार की गयी एवं परीयोजनाऔ से सम्बन्धित कितने बी०आर०सी०के कार्यो का अनुश्रवण किया गया ओर यदि विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट /क्वालिटी रिपोर्ट या कोई अनुश्रवण किया गया हो तो उसकी आख्या प्रस्तुत करे यदि नही तो सत्यापन न किये जाने का कारण स्पष्ट करे।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि स्टाफ की कमी होने के कारण सूनिशचित कार्यो को पूर्ण करने में कुछ परेशानियो का सामना करना पड़ रहा हें अतः स्टाफ की कमी पूर्ण होने पर दर्शाए गये कार्य पूर्ण कर दिए जायेगे विभाग का उत्तर मान्य नही हें कियोंकि RMSA financial management and procurement के पेरा संख्या 6.3.1.2 में स्पश्ट लिखा गया हें कि जिला परियोजना अधिकारी को सोंपे गये कार्यो का अनुपालन करना तथा उचाधिकार्यो की notice में लाना अनिवार्य हें जिसे विभाग द्वारा कोई अनुपालन नही किया गया । अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हें।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
AIR No.148/2015-16	01	05	-

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वर्ष 2015-16 के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी की संस्तुति हेतु दिनांक 16-02-2019 को प्रेषित के गई है जिसकी प्रति संलग्न है ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री आशुतोष भण्डारी,	आहरण वितरण अधिकारी	21-01-2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी (RMSA) चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.